न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 149 / 2024 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2024 / 165

1. राजा बाबू पुत्र फैज मोहम्मद जाति पंवार मुसलमान निवासी बी–210 सार्दुल गंज बीकानेर।
2 अशोक खान पुत्र स्व. चन्दन खां जाति पंवार मुसलमान निवासी ए–108 सार्दुल गंज बीकानेर।
3 जावेद खान पंवार पुत्र सराज खां जाति पंवार मुसलमान निवासी ए 108 सार्दुल गंज बीकानेर।
4 अमीन पंवार पुत्र मोहन खां जाति पंवार मुसलमान निवासी ए–66 सार्दुल गंज बीकानेर।
5 भंवर खां पुत्र श्री फैज मोहम्म्द जाति पंवार मुसलमान निवासी ए 50 सार्दुल गंज बीकानेर।
6 फिरोज खां पुत्र श्री इब्राहिम खां जाति पंवार मुसलमान निवासी सी 37 सार्दुल गंज बीकानेर।
7 सायरा बेगम पत्नी बदरू खां जाति मुसलमान निवासी ए 8 सार्दुल गंज बीकानेर।
8 अजहरूदीन पुत्र श्री इमामुदीन जाति मुसलमान निवासी ए 8 सादुलगंज बीकानेर।

– अपीलान्ट्स

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

बनाम

1. लिछमा देवी पत्नी स्व. जेठाराम जाति जाट निवासी कतरियासर, बीकानेर।
2. मोहनी देवी पुत्री स्व. मेघाराम जाति जाट निवासी कतरियासर बीकानेर।
3. लाली देवी पुत्री स्व. मेघाराम पत्नी बख्ताराम जाति निवासी कतरियासर, बीकानेर।
4. भूरी देवी पुत्री स्व. मेघाराम पत्नी सिमरथाराम जाति जाट निवासी भामटसर, नोखा जिला बीकानेर।
5 रामी देवी पुत्री स्व. मेघाराम पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी भामटसर नोखा जिला बीकानेर।
6 विजयपाल पुत्र दुर्गा देवी जाति जाट निवासी साधासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7 पुष्पा पुत्र दुर्गा देवी पुत्री स्व. मेघाराम जाति जाट निवासी साधासर नोखा जिला बीकानेर।
8 बाबूलाल पुत्र दुर्गा देवी पुत्री स्व. मेघाराम जाति जाट निवासी साधासर नोख जिला बीकानेर।
9 देवीलाल पुत्र दुर्गा देवी पुत्री स्व. मेघाराम जाति जाट निवासी साधासर नोख जिला बीकानेर।
10 पूनमचंद पुत्र दुर्गा देवी पुत्री स्व. मेघाराम जाति जाट निवासी साधासर नोख जिला बीकानेर।
11 विमला देवी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी नैणों का बास रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

12 भंवरी
13 बाधू
14 सुमित्रा
15 संतोष
16 तोलाराम
} पिसरान लाधुराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

17 गणेश पुत्र स्व. मेधाराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेरं

18 हनुमान पुत्र स्व. मेधाराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

19 भंवर
20 कमा
21 गीता
22 गूडी
} पिसरान भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम) जाति जाट निवासी नैणों का बास रिडमलसल पुरोहितान बीकानेरं

23 रामप्यारी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

24 अनोपा पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

25 शारदा पुत्री मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

26 सुनील पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

27 तुलछी पुत्री जेठाराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, बीकानेर।

28 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	अभिभाषक अपीलांट्स	श्री राजेश बैद
	अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 व 27	श्री जयचन्द सारस्वत
	अभिभाषक रेस्पो. सं. 26	श्री अजय कुमार ओझा

निर्णय

दिनांक 23.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 29.07.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि मौजारोही नैणों का बास तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 229/203/40/2 में तादादी 200 बीघा (कच्चा) भूमि मेधा वल्द ठाकरसी कौम जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज रही। जिसमें से कुछ भूमि चकबंदी में आ जाने के कारण चक 15 बीएसएम के मुरब्बा नंबर 179/62 के किला नंबर 21, मुरब्बा नंबर 179/55 के किला नंबर 4,5, 7 ता 9 व 11, मुरब्बा नंबर 179/63 के किला नंबर 15 ता 17, 22 ता 25 मुरब्बा नंबर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

179/64 के किला नंबर 1 ता 5 कुल 19 बीघा जिसमें 8 बीघा कमाण्ड, 11 बीघा अनकमाण्ड बाबत दर्ज इंतकाल संख्या 17 दिनांक 29.02.2000 को स्व. मेघाराम के देहावसान के पश्चात उक्त भूमि स्व मेधाराम के वारिसान लाधुराम, गणेश, हनुमान पुत्रगण मेधाराम बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/2 भंवर, मोहन पुत्र स्व भीखाराम(पुत्र स्व. मेधाराम) रूखी बेवा स्व. भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम) हिस्सा 1/6, तुलछी पुत्री जेठाराम(पुत्र स्व. मेधाराम) हिस्सा 1/6 व आसी बेवा स्व. मेधाराम हिस्सा 1/6 सम्वत् 2006 के आरजी काश्तकार के रूप में दर्ज की गई। तत्पश्चात उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिनांक 05.04.2000 के आदेश से प्रदान किये गए, जिसका नामांतरकरण नंबर 18 दिनांक 08.04.2000 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 179/63 किला नंबर 15 ता 17 में 3 बीघा, 22 की 2 बिस्वा, 23 व 24 कुल 5.02 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.2000 से अपीलांट सं. 1 को विक्रय कर दी। इसी प्रकार मुरब्बा नं. 179/63 के किला नंबर 25 में 1 बीघा एवं मुरब्बा नंबर 179/64 के किला नंबर 2 में 2 बिस्वा, 3 ता 5 में 3 बीघा कुल 4.02 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2000 से शेष अपीलांट्स स्वय को अथवा उनके पूर्वजों का विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2000 से शेष अपीलांट्स स्वय को अथवा उनके पूर्वजों को विक्रय कर दी, जिसका नामांतरण नंबर 22 दिनांक 19.10.2001 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अकन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष इंतकाल संख्या 17 दिनांक 29.02.2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के अपने निर्णय दिनांक 29.07.2024 द्वारा अपील स्वीकार कर इंतकाल संख्या 17 दिनांक 29.02.2000 को निरस्त कर चक 15 बीएसएम के मुरब्बा नंबर 179/62 के किला नंबर 21, मुरब्बा नंबर 179/55 के किला नंबर 4,5, 7 ता 9 व 11, मुरब्बा नंबर 179/63 के किला नंबर 15 ता 17, 22 ता 25 मुरब्बा नंबर 179/64 के किला नंबर 1 ता 5 कुल 19 बीघा मे मेघा वल्द ठाकरसिंह के वारिसों के हक–हिस्से अनुसार नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 29.07.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में मेधाराम का निधन होने के पश्चात विरासतन इंतकाल नं. 17 दिनांक 29.02.2000 को स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट नं 1 ता 10 ने अन्य रेस्पोडेन्ट के साथ साजिस पूर्व तरीके से दुरभिसंधि करते हुए उक्त इंतकाल नं. 17 दिनां 29.02.2000 के विरूद्ध 24 साल की लम्बी अवधि के बाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर, निरस्त करने का आदेश दिनांक 29.07.2024 को प्राप्त किया गया है। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 द्वारा अपीलांट का नाम जमाबंदी में दर्ज होते हुए भी जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया और एकतरफा तौर पर अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय में लिछमा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथाकथित पत्नी जेठाराम के नाम से अपीलांट संख्या 1 के रूप में अन्य अपीलांट रेस्पोडेन्ट नंबर 2 से 10 के साथ अपील प्रस्तुत की है जो बिना लोकस स्टेण्डाई के प्रस्तुत की गई है। क्योंकि उक्त सभी पक्षकारान नामांतरकरण संख्या 17 दिनांक 29.02.2000 में पक्षकार नही थे न ही अपील प्रस्तुत करने के अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु ने किसी प्रकार का कोई निर्णय ही दिया। इस कारण आदेश जैर अपील दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील करीब 24 वर्षो की लंबी अवधि की देरी के साथ प्रस्तुत की गई तथा देरी हेतु कोई संतोषप्रद एवं सदभाविक कारण अंकित नही किया। जबकि इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेनट को वाद संख्या 52/2008 प्रस्तुत करने समय दिनांक 28.12.2007 को हो चुकी थी। इस तथ्य को छिपाकर व मियाद के बिन्दु पर झूठा शपथ पत्र देकर अधीनस्थ न्यायालय में वेग प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार करवाते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया हैं जो हर सूरत मे निरस्त किये जाने योग्य है। नामांतरकरण संख्या 17 दिनांक 29.02.2000 दर्ज करते समय विचारण न्यायालय के पास ग्राम पंचायत रिडमलसर पुरोहितान का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण प्रस्तुत हुआ जिसमें जेठाराम के एक मात्र वारिस पुत्री तुलछी को ही दर्शाया गया है अन्य कोई वारिस स्व जेठाराम के तत्समय नही थां इसलिए लिछमा को जेठाराम का विधवा होना होना स्वीकार नही है। लिछमा का स्व. मेघाराम के पुत्र जेठाराम से कोई संबंध नही है। न ही वादगत भूमि मे उसका कोई वास्ता है व अन्य पक्षकारान द्वारा नुमाईशी तौर पर तैयार की गई कोर्ज फर्जी व्यक्ति है। जिसे प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट रहे पक्षकार रेस्पोडेन्ट नंबर 2 से 5 स्वयं एवं 6 से 10 की माता दुर्गा देवी के द्वारा एक घोषणात्मक एवं विभाजन के अनुतोष का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर में अनुवानी भूरी वगैरह बनाम गणेशाराम वाद संख्या 52/2008 दिनांक 28.12.2007 को प्रस्तुत किया, जो कालांतर से क्षेत्राधिकार हस्तांतरण के पश्चात सहायक कलेक्टर बीकानेर में हस्तांतरित हुआ जहां मुकदमा नंबर 228/10 दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 2 से 10 के द्वारा दिनांक 23.03.2015 को जरिये विड्रोल निरस्त करवा लिया गया है। इस प्रकार जेठाराम की पुत्री तुलछी भी प्रकरण मे पक्षकार थी जिसने वादगत भूमि में जेठाराम के संपूर्ण हिस्से को अपीलांट्स को विक्रय कर दिया। इस प्रकार अब नामांतरकरण की कार्यवाही मे रेस्पोडैन्टस किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही थे फिर भी न्यायालय को धोखे मे रखकर पूर्व निर्णय को छीपाकर आधे-अधूरे तथ्यों के साथ मूल तथ्यों को छीपाते हुए प्रथम अपील प्रस्तुत कर कानून के प्रावधानों के विपरित इंतकाल की अपील में आदेश प्राप्त किया है जबकि घोषणात्मक अनुतोश का दावा पूर्व में निरस्त हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में इंतकाल की अपील संधारण योग्य ही नही थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील उपरोक्त कारणों से निरस्त फरमाया जावे तथा आदेश जैर अपील के क्रम में किये गये आदेश एवं राजस्व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रिकॉर्ड के परिवर्तनों को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की दिनांक 29.07.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस में कथन किया कि उक्त अनवानी अपील में अपीलांट की तरफ से कथन किया गया है कि मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमा देवी को अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने की कोई लोकस स्टेंडाई नहीं थी, का तथ्य बेबुनियाद है क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूल खातेदार मेघाराम के वारिस पुत्र जेठाराम की पत्नी है और उसे अपने पति के हिस्से में अर्जित व निहित हिस्से की हद तक अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने की लोकस स्टेंडाई प्राप्त थी इसी के आधार पर मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार की और तहसीलदार बीकानेर को मामला प्रतिरक्षित करते हुए हक–हिस्से अनुसार नामांतरण दर्ज करने के आदेश दिये थे जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 90 दिनांक 23.08.2024 को तहसीलदार, बीकानेर द्वारा स्वीकृत किया गया जो नामांतरण सही है। अपीलांट ने अपील लिखित बहस के पैरा संख्या 2 के बाबत मुझ रेस्पोडेन्ट का कथन है कि स्वयं अपीलाट राजा बाबू अपनी बहस में कथन करते है कि मूल इंतकाल संख्या 17 स्वीकृत करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्षकार नही थी इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 औरतजात है और उसके पति जेठाराम की हक–हिस्से की भूमि मे हिन्दू अधिकार अधिनियम के ताबे मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पत्नी का हक–हिस्सा अर्जित व निहित होने से हक बनता है। उक्त इंतकाल संख्या 17 की जानकारी मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पहले कभी नहीं रही जानकारी होते ही अपील अधीनस्थ न्यायालय में अंदर मियाद पेश की दी गई थी। अपीलांट ने अपील लिखित बहस के पैरा संख्या 3 के बाबत मुझ रेस्पोडेन्ट का कथन है कि मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो अपील पेश की गई उस अपील में मेघाराम के अन्य वारिसानों ने इसकी पुष्टि की है इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में इंतकाल संख्या 90 दर्ज करते समय तहसीलदार द्वारा वारिसों की पुष्टि की जाकर ही उक्त इंतकाल स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा उठाये गये एतराज बेबुनियाद है। अपीलांट ने अपील लिखित बहस के पैरा संख्या 4 के बाबत मुझ रेस्पोडेन्ट का कथन है कि एक घोषणा व विभाजन का पूर्व में दावा, जिसे दिनांक 23.03.2015 को विड्रॉं कर लिया गया है, से यह निष्कर्ष निकाला है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 ने अपना हिस्सा छोड दिया है। जबकि उक्त दावा में मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्वयं अपीलांट ने भी पक्षकार नहीं बताया है, से स्वतः ही साबित है कि उक्त दावा बाबत मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमा कोई सरोकार नहीं है। मूल खातेदार मेघाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात उसके कुल वारिस पुत्र लाधुराम, गणेशाराम, हडमानाराम, जेठाराम पुत्रगण एवं भूरी, मोहिनी, दुर्गा, लाली, रामी पुत्रियां व आसी देवी पत्नी मेघाराम कुल 10 वारिसान हुए जिसमें लिछमा देवी के पति जेठाराम का 1/10 हिस्सा है और 1/10 हिस्से में आधा हिस्सा मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमा व 1/2 हिस्सा पुत्री तुलछी का बनता है। जिसके बाबत् मुझ रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा जानकारी से अंदर मियाद अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर मे मूल विरास्तन इंतकाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 17 दिनांक 29.02.2000 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष इंतकाल संख्या 90 दिनांक 23.08.2024 व मूल आदेश दिनांक 29.07.2024 के विरूद्ध पेश की है उसके अनुतोष में संपूर्ण आदेश को निरस्त कराने की इस्तदुआ की है जबकि स्वयं अपील में व लिखित बहस में स्वीकार करते है कि उक्त कुल भूमि में से जरिये बैयनामा कुल तादादी 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि ही उन्होनें खरीद की है, इसलिए अपीलांट राजा बाबू अपने खरीद की भूमि की हद तक ही प्रस्तुत अपील में अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। शेष जो 10 बीघा भूमि जमीन है उसके बाबत किसी भी प्रकार का उग्र एतराज करने का अधिकार अपीलांट को नहीं हैं। अतः अपीलधीन आदेश 29.07. 2024 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त फरमावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की लिखित बहस एवं दौराने बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। खेत खसरा नंबर 229/203/40/2 में तादादी 200 बीघा (कच्चा) भूमि जो चकबंदी में आ जाने के कारण चक 15 बीएसएम के मुरब्बा नंबर 179/62 के किला नंबर 21, मुरब्बा नंबर 179/55 के किला नंबर 4,5, 7 ता 9 व 11, मुरब्बा नंबर 179/63 के किला नंबर 15 ता 17, 22 ता 25 मुरब्बा नंबर 179/64 के किला नंबर 1 ता 5 कुल 19 बीघा भूमि बाबत दर्ज इंतकाल संख्या 17 दिनांक 29.02.2000 को स्व. मेघाराम के देहावसान के पश्चात उक्त भूमि स्व मेधाराम के वारिसान नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 179/63 किला नंबर 15 ता 17 में 3 बीघा, 22 की 2 बिस्वा, 23 व 24 कुल 5.02 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.2000 से अपीलांट सं. 1 को विक्रय कर दी। इसी प्रकार मुरब्बा नं. 179/63 के किला नंबर 25 में 1 बीघा एवं मुरब्बा नंबर 179/64 के किला नंबर 2 में 2 बिस्वा, 3 ता 5 में 3 बीघा कुल 4.02 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2000 अपीलांट्स एवं अपीलांट के पूर्वजों को विक्रय कर दी। उक्त दोनों विक्रय—पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतरकरण नंबर 22 दिनांक 19.10.2001 दर्ज किया गया। जो कि रिकॉर्ड खातेदार होने के कारण हितबद्ध पक्षकार है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा इन्हे पक्षकार नही बनाया गया और ना ही उनके पक्ष को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हे पक्षकार न बनाकर कानूनी भूल की है। साथ ही उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमा देवी पत्नी स्व. जेठाराम ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना—पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्वीकार किया परन्तु इस बात पर कोई ध्यान नही दिया की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमा पत्नी जेठाराम की पुत्री तुलछी के नाम इंतकाल संख्या 17 में शामिल था जो कि एक परिवार के सदस्य है ऐसा नही हो सकता की एक परिवार के सदस्य होते हुए भी उनको उक्त इंतकाल संख्या 17 की जानकारी ना हो। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करते समय करीब 24 वर्षो की लंबी अवधि की देरी को दिन प्रतिदिन विलम्ब के कारणों का अंकन नही करते हुए पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर कानूनी त्रुटी की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर आदेश दिनांक 29.07.2024 अपीलांट के हिस्से की भूमि अर्थात 9.04 बीघा भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर